

1 | पं.नि.: 32/2021 "जोगाराम बनाम बंशीलाल वगैरह"

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 32/2021
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/163

प्रार्थीगण :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. जोगाराम पुत्र नेनाजी, जाति देवासी		1. बंशीलाल पुत्र वालाराम, जाति सरगरा,
2. पुनाराम पुत्र अमराराम, जाति चौधरी		निवासी डायलाना कलां, तहसील देसूरी,
निवासीगण डायलाना कलां, तहसील		जिला पाली
देसूरी जिला पाली		2. ग्राम पंचायत डायलाना कलां जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :- प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार चौहान

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 29.11.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा आदेश दिनांक 04.11.2016, मिसल संख्या 24/2016-17 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 95 दिनांक 04.11.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच नारायणलाल द्वारा अपने सगे भाई वालाराम के पुत्र बंशीलाल के पक्ष में खाली भू-खण्ड का नियम 157 के तहत जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत पुराने निवासगृह को विनियमितकरण किया जा सकता है, पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 47 राजस्थान पंचायती राज नियम अनुसार सरपंच ना तो अपने परिजनों के हक में किसी प्रकार के लाभ का कोई कार्य कर सकता है न ही इससे संबंधित किसी कार्यवाही में भाग ले सकता जबकि जैर निगरानी आदेश तत्कालीन सरपंच नारायणलाल ने अपने सगे भाई वालाराम के पुत्र बंशीलाल के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो काबिले खारिज है। जैर निगरानी आदेश में वर्णित मिसल में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा एक आवेदन नारायणलाल सरपंच को बिना दिनांक का देना बताया गया है, उसके आधार पर दिनांक 16.09.2016 को मिसल कायम की गई, जिसमें कम्प्यूटराईज प्रारूप बना हुआ है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 के नाम, पते के अलावा शेष सभी कॉलम खाली छोड़े हुए हैं। दूसरी आदेशिका दिनांक 20.09.2016 भी कम्प्यूटराईज है, जिसमें मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त करना अंकित किया गया है तथा सचिव को नक्शा पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। तीसरी आदेशिका दिनांक 05.10.2016 को अंकित कर आपत्ति पत्र जारी करने बाबत और दो मौतबिरान के बयान लिये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है, तथा अंतिम आदेशिका दिनांक 04.11.2016 को लिखा जाना और 200/- में पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने और पट्टा जारी करने बाबत आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त प्रावधानों की पालना में तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण प्रपत्र पेश होना बताया गया है, वह किस दिनांक को मौका देखा गया है किसके रूबरू मौका देखा गया है, कुछ भी अंकित नहीं है, केवल तीन पंचों के हस्ताक्षर हैं। जैर निगरानी पट्टे बाबत आपत्तियां आमंत्रित किये जाने बाबत जो आपत्ति इशितहार मिसल में संलग्न है वह भी पूरा कम्प्यूटर से तैयार सुदा है जिस पर पंचायत की मोहर नहीं है एवं उक्त आपत्ति इशितहार कब, किसके द्वारा, कहां पर चस्पा किया गया? इस बाबत कुछ भी तथ्य पुस्त पर अंकित नहीं है, उस पर दो व्यक्तियों के अंगुठा निशान एवं एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, विधिवत रूप से आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई है। इस संदर्भ में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक



जिला कलेक्टर, पाली

दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जो निम्न है :- 1984 WLN (UC) 175, 2009 DNJ 982, 2018 DNJ 497, 2003 RRT 136 जिसमें सरपंच अपने परिजन, भाई, माता, भाई के पुत्र व पत्नी के नाम से पट्टे जारी नहीं कर सकता है व दृष्टान्त 2019 DNJ 570, 2012 RRT 1265, 2017 DNJ 668, 2017 DNJ 730 जिसमें नियम 157 के तहत केवल पुराने व पुश्तैनी आवासीय मकानों के ही पट्टे जारी किये जा सकते हैं भू-खण्ड के नहीं, क्योंकि उसका हित दर्शित होता है। अतः जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच के भाई वालाराम के पुत्र बंशीलाल के नाम जारी, जो काबिले खारिज है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि उक्त निगरानी पेश करने से पूर्व श्रीमान के समक्ष एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें डायलाना कलां के निर्माण कार्य की जाँच कराने बाबत निवेदन किया। जिस पर श्रीमान के कार्यालय के पत्रांक 712 दिनांक 24.10.2019 द्वारा विकास अधिकारी, दूसरी को जाँच बाबत प्रेषित किया गया, जिसके जवाब में विकास अधिकारी ने पत्रांक दिनांक 08.07.2022 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत डायलाना कलां के एक कमेटी द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी सभी पट्टों की जाँच करवाई गई। जिसमें जाँच कमेटी द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी पट्टों में से एक भी पट्टा अवैध नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादीगण व ग्राम पंचायत के निवासीगण के स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये जिससे पूर्ण स्पष्ट होता है कि उक्त अवधि में जारी एक भी पट्टा खारिज योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आधारहीन निगरानी प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर गहन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के संलग्न विकास अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में वर्णितानुसार सरपंच के भाइयों, भाई के पुत्र, पत्नी व सरपंच की माता के नाम पट्टे जारी होना बताया है जिसमें पारिवारिक सदस्यों को फायदा पहुँचाने की नियत से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टा जारी किया गया है, के संबंध में बिन्दु निम्न है -

1. जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत पुराने मकानों का विनियमितीकरण के तहत दिया गया है जबकि मौके पर मकान नवनिर्मित है।
2. पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 47 "बैठक के विचाराधीन विषय में जब किसी सदस्य का धनीय हित निहीत हो" का तत्कालीन सरपंच द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।
3. जैर निगरानी पट्टा जारी करने में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां रखी गई हैं जो कमियां तत्कालीन सरपंच की दुर्भावना दर्शाता है।

बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ में यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा जिसके संबंध में पूर्व टंकित कार्यालय टिप्पणी चलाई गई है जिसमें नियम 145 के अन्तर्गत भूमि के विक्रय के रूप में पट्टा जारी करने बाबत टंकित की हुई है। जिससे प्रथम-दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन व निर्धारित मिसल की आदेशिकाओं में विरोधाभास है जो कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पर संशय उत्पन्न करता है।

बिन्दु संख्या 02 के संदर्भ में यह है कि बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी एवं तत्कालीन सरपंच के निकट रिश्ते को स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा निकट संबंधी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है तथा उक्त तथ्य कोरम की जानकारी में लाया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे तत्कालीन सरपंच का उक्त पट्टा जारी करने में **Conflict of Interest** अर्थात् अध्यक्ष/सदस्य का निर्णय उसकी रुचि से प्रभावित होना प्रथम-दृष्ट्या प्रमाणित होता है।

बिन्दु संख्या 03 के संदर्भ में यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां रखी गई हैं जो पट्टा जारी करने में दुर्भावनापूर्ण अनियमितता की ओर इंगित




जिला कलेक्टर, पाली

3 | पं.नि.: 32/2021 "जोगाराम बनाम बंशीलाल वगैरह"

करती है। प्रक्रियात्मक कमियों के संबंध में यह है कि जैर निगरानी पट्टे बाबत अप्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा आदेशिकाएं नियम 145 के साथ अंकित की जाती है एवं मिसल की समस्त आदेशिकाएं पूर्व टंकित एवं अपूर्ण है। मिसल में ग्राम पंचायत द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रपत्र भी अपूर्ण एवं पूर्व टंकित है तथा आपत्ति इशितहार पर पंचायत की मोहर नहीं है साथ ही कब, कहां व किसके द्वारा चस्पा किया गया इसके बारे में कोई जानकारी अंकित नहीं है तथा मिसल में अंकित तिथी में कांट-छांट की गई है तथा पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। इसलिए बिन्दु अप्रार्थी के विरुद्ध तय किया जाता है।

अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करने में प्रथम-दृष्ट्या गंभीर अनियमितता एवं विसंगतियां प्रमाणित होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रमाणित पाये जाने से आदेश दिनांक 04.11.2016 मिसल संख्या 24/2016-17 में जारी पट्टा संख्या 95 दिनांक 21.11.2016 खारिज किया जाता है साथ ही जैर निगरानी प्रकरण में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के स्तर पर गंभीर लापरवाही व अनियमितता पाई जाती है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध 15 दिवस में सी.सी.ए. नियम/सुसंगत नियमों में कार्यवाही करते हुए जैर आराजी का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)
जिला कलेक्टर, पाली